कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) धमधा,
जिला – दुर्ग (छ.ग.)

–//आदेश//–

क्रं./ 530 /अ.वि.अ./वाचक–1/2025 धमधा , दिनांक 21./05/2025

रा.प्र.क्र. 202505100500022 अ/62 वर्ष 2024–25

वन विभाग एवं राजस्व विभाग के संयुक्त स्थल जांच सह पंचनामा दिनांक 05/05/2023 के अनुसार आवेदक सरपंच ग्राम पंचायत सेमरिया (लि.) द्वारा ग्राम ग्राम सेमरिया प.ह.नं. 08 में स्थित खसरा नंबर 01 रकबा 0.080 हे0 में स्थित 02 नग शिशु वृक्ष को छ.ग.भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 240, 241 के तहत कांटने की अनुमति प्रदान की जाती है, जो निम्न शर्तों के अध्याधीन होगा :–

1. वृक्ष की कटाई वन मण्डलाधिकारी द्वारा नामजद अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष कटाई जायेगी तथा आसपास की सुरक्षा का समुचित ध्यान रखा जावेगा।
2. वन मण्डलाधिकारी दुर्ग द्वारा काटे जाने वाले वृक्षों को जो शासन के स्वामित्व की है, के कलेवरों की नीलामी कराकर प्राप्त प्रतिफल की राशि का नियमानुसार शासकीय मद में जमा कराना सुनिश्चित करें।
3. कांटे गये प्रत्येक एक–एक वृक्षों के बदले 10–10 कुल (कम से कम 4 फीट की उंचाई वाले) जिस स्थान से वृक्ष कांटी जावेगी के नजदीक उपयुक्त स्थान पर वृक्ष लगाया जावेगा, यदि नजदीक में उपयुक्त स्थान नहीं मिलने पर वन विभाग द्वारा बतलाये गये स्थान पर लगाने की शर्त पर यह अनुमति दी जाती है।
4. कार्यालय ग्राम पंचायत सेमरिया (लि.) में रोपण निधि के तहत् प्रति वृक्ष 150 रूपये की दर से 02 नग सिरिज वृक्ष की 300 रूपये/– जमा करें, यह राशि ग्राम पंचायत में रोपण निधि के अंतर्गत रखी जावेगी।
5. अनुमति दिनांक से वन विभाग अपने सुपुर्द में लेकर तत्काल आगामी आवश्यक कार्यवाही करेंगे, ताकि अनुमति पश्चात् वृक्षों का अवैध विदोहन न हो सके।
6. यदि 02 नग वृक्षों के अतिरिक्त अन्य वृक्षों की अवैध कटाई की जाती है तो उनके विरूद्ध इस कार्यालय को सूचित करेंगे, ताकि उनके ऊपर अर्थदण्ड अधिरोपित की जा सके। (यह अनुमति प्रचलित परिपत्र एवं शासन के वर्तमान निर्देश के परिपालन में दी जाती है।)
7. अनुमति दिये गये वृक्षों की प्रतिफल की राशि आवेदक को नियमानुसार प्रदाय किया जावें

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
धमधा

(मुहर: अनुविभागीय अधिकारी (रा.) धमधा, जिला–दुर्ग (छ.ग.))

पृ.क्रं./530 /अ.वि.अ./वाचक–1/2025 धमधा , दिनांक 21/03/2025

प्रतिलिपिः–

1. कलेक्टर महोदय दुर्ग को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल दुर्ग को आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सूचनार्थ।
3. तहसीलदार बोरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. आवेदक सरपंच ग्राम पंचायत सेमरिया (लि.) तहसील बोरी जिला दुर्ग को सूचनार्थ।

(मुहर: न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सत्यमेव जयते धमधा, जिला–दुर्ग (छ.ग.))

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
धमधा

(मुहर: अनुविभागीय अधिकारी (रा.) धमधा, जिला–दुर्ग (छ.ग.))